संख्या–115/XVIII(II)/2009–18(35)/2009

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून:दिनांक:11 जनवरी,2010

विषयः–सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज श्रीकोट गंगानाली हेतु गवर्मेन्ट ग्रान्ट एक्ट में कुल 0.328 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3515/11–रीडर (2008–09), दिनांक–23 जुलाई 2009, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या–258/16(1)/75–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(50)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील श्रीनगर के ग्राम श्रीकोट गंगानाली में सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज श्रीकोट गंगानाली को कुल 0.328 है0 भूमि वर्तमान बाजार दर की 2 गुने की दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा कराये जाने के अतिरिक्त नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके, जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा अनुमोदित/संलग्न खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85 (24)–रा–6 दिनांक–09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नही होगा।
4. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

..........2

5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारो से मुक्त निहित हो जायेगी।

6. प्रस्तावित भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन भारत सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी होगी ।

7. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से 6 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकार देय नही होगा।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 115 /राजस्व/नामांकित/20[illegible]

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, श्रीकोट गंगानाली जिला पौड़ी गढ़वाल।
4. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।